बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति, किशनगंज

बिहार सरकार

मध्याह्न भोजन के लिये आवश्यक सावधानियाँ

मध्याह्न भोजन योजना के मूल उद्देश्य एवं लक्ष्य

- बच्चों के अच्छे पोषण के लिए
- बच्चों के सामाजिक समता के लिए
- बच्चों के विद्यालयों में शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए।
- बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए
- बच्चों के स्वच्छता एवं सफाई के लिए
- बच्चों के विद्यालयों से छीजन को रोकने के लिए।

भण्डारण व सफाई की व्यवस्था:-

- खाद्यान्न का भण्डारण सुरक्षित स्थान पर ही करें।
- भण्डारण हेतु स्टोरेज बीन का उपयोग करें।
- दाल, नमक, मसाले आदि का भण्डारण हवाबन्द डब्बों में करें। डब्बों पर अंदर रखे समाग्री का नाम स्पष्ट अंकित करवाये। हानिकारक व जहरीले पदार्थ से दूर रखें।
- खुला तेल अथवा जले हुये खाद्य तेल का भण्डारण न करें।
- जहाँ भोजन बन रहा है वहाँ भोजन बनाने के पहले व बाद में सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए।

मध्याह्न भोजन योजना में परिवर्त्तन मूल्य एवं रसोईया मानदेय की व्यवस्था –

- केन्द्र सरकार से मध्याह्न भोजन हेतु परिवर्तन मूल्य मद में वर्ग 1 से 5 तक के विद्यार्थी हेतु 3.37 रू0 एवं खाद्यान्न 100 ग्राम प्रति विद्यार्थी तथा वर्ग 6 से 8 तक के विद्यार्थी हेतु परिवर्तन मूल्य मद 5.00 रू0 एवं खाद्यान्न 150 ग्राम प्रति विद्यार्थी का प्रावधान है।
- केन्द्र सरकार से कार्यरत प्रति रसोईया को 1000/–रू॰ के दर से वर्ष मे 10 माह (कुल 1000X10 = 10,000/–रू॰) का भुगतान करने का प्रावधान है।

भोजन पकाने के समय –

- विद्यालय प्रधान एवं रसोईया द्वारा मध्याह्न भोजन बनाने के स्थान पर भोजन पकाने के समय सतर्कता बरती जाये।
- चापाकल का पानी इस्तेमाल करने से पहले दो–तीन बाल्टी पानी चापाकल से चलाकर फेक दें।
- भोजन बनाने से पूर्व भोजन पकाने वाले बर्तन को व हाथों को अनिवार्यतः रूप से राख या साबुन से धोकर सुखा लें।
- भोजन बनाने से पूर्व सभी खाद्य पदार्थो की गुणवत्ता का भौतिक सत्यापन कर लें।
- एग्मार्क युक्त मसाले, आयोडीन युक्त नमक व खाद्य तेल के रूप में रिफाईन तेल/शुद्धसरसों तेल का उपयोग किया जाए।
- स्थानीय स्तर उपलब्ध ताजी सब्जी को धोकर उपयोग किया जाय। सब्जी काटने से पूर्व सब्जी अनिवार्य रूप से धो ले।
- यह आवश्यक है कि भोजन पूर्णरूप से ढककर पकाया जाये।
- भोजन को अत्यधिक देर न पकाये जिससे भोजन की पौष्टिकता का ह्रास हो जाये।
- रसोईया–सह–सहायक द्वारा मध्याह्न भोजन तैयार करने के बाद स्वयं/प्रभारी प्रधानाध्यापक/शिक्षा समिति के अध्यक्ष या सचिव या सदस्य द्वारा चखने के उपरांत ही बच्चों को खिलाया जाय। खाना चखने हेतु सदस्य, अभिभावक को भी रोस्टर बनाकर आमंत्रित करें।
- रसोईया खाना बनाने के समय एप्रॉन एवं टोपी अनिवार्य रूप से पहनें।
- रसोईया सूती कपडें पहन कर ही भोजन पकायें।

भोजन बनाने के पश्चात सभी तैयार खाद्य पदार्थो को सुरक्षित रूप से रखना सुनिश्चित करें ताकि किसी प्रकार के संक्रमण की संभावना ना रहे।

मध्याह्न भोजन का मेनू इस प्रकार है :-

1) सोमवार – चावल+मिश्रित दाल+हरी सब्जी
2) मंगलवार – जीरा चावल+आलू सोयाबिन की सब्जी
3) बुधवार – खीचड़ी (हरी सब्जी युक्त) + चोखा
4) गुरूवार – चावल + मिश्रित दाल +हरी सब्जी
5) शुक्रवार – पुलाव+ छोला + सलाद
6) शनिवार – खीचड़ी (हरी सब्जी युक्त) + चोखा

नियमित रूप से बच्चों का भोजन कराने के पूर्व व उपरांत अनिवार्यतः साबुन / राख से हाथ धुलवायें।

- बच्चों को पंक्ति में बैठाकर खाना परोसें।
- खाना परोसने में जल्दबाजी न करें।

गर्म खाना गिरने से जलने पर अविलम्ब पानी से धोकर उपचार हेतु स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/अस्पताल ले जायें।

भोजन में शिकायत मिलने पर –

1) भोजन की गुणवत्ता में संदिग्धता होने पर गहरा गडढा खोद कर पका खाना गाड़ दें।
2) यदि भोजन के दौरान / उपरांत छात्र के द्वारा पेट दर्द, उलटी, दस्त, बेहोशी, कमजोरी, शरीर में ऐंठन, थकान आदि किसी प्रकार की शिकायत करने पर अवश्य सुनें व अविलम्ब स्थानीय थाना व स्वास्थ्य केन्द्र, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिला पदाधिकारी को सूचना दें व 102 / 108 पर डायल कर एम्बुलेंस बुला लें।
3) प्रभावित व्यक्ति को नमक का घोल पिलाकर उल्टी करा दें। मुंह में उंगली डालने से उल्टी होने में मदद मिलती है।

महत्वपूर्ण दूरभाष संख्या

D.M. - 9473191371
S.P. - 9431822999
C.S. - 9470003377

MDM I/C - 9431357294/ 06456-224731
Police Control :-06456-222677
Directorate Patna :- 0612-2231007

BDO Kishanganj :-	9431818320
BDO Kochadhaman :-	9431818321
BDO Bahadurganj :-	9431818322
BDO Dighalbank :-	9431818323
BDO Thakurganj :-	9431818324
BDO Terhagachh :-	9431818622
BDO Pothia :-	9431818623